



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06102021-230189
CG-DL-E-06102021-230189

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 578]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 6, 2021/ आश्विन 14, 1943

No. 578]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 6, 2021/ ASVINA 14, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 720(अ).— केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षानुसार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 29 मार्च, 2021 में भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 220 (अ), तारीख 26 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्ति से पूर्व, जिसमें उक्त अधिसूचना में अंतर्विष्ट राजपत्र की प्रतियां, आक्षेपों या सुझावों को आमंत्रित करने के लिए जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थीं, 29 मार्च, 2021 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आपत्तियां एवं सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक रूप से विचार किया गया है ;

अतः अब, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 64 के खंड (क), खंड (घ) और खंड (त) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (24वां संशोधन) नियम, 2021 है।

(2) ये नियम 1 अप्रैल 2022 से प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989, नियम 51 के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"51क. मोटर वाहन कर में रियायत - यदि वाहन "निक्षेप प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने के लिए रजिस्ट्रीकृत है, तो मोटर वाहन कर में रियायत अर्थात् :-

(i) गैर-परिवहन वाहनों के मामले में पच्चीस प्रतिशत तक; और

(ii) परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह प्रतिशत तक होगी;

परंतु यह रियायत परिवहन वाहनों के मामले में आठ वर्ष तक और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष तक उपलब्ध होगी और परिवहन वाहनों के मोटर यान पर आठ वर्ष पश्चात् और गैर परिवहन वाहनों के मामले में पंद्रह वर्ष पश्चात् कर में कोई रियायत नहीं होगी।

स्पष्टीकरण 1:- इस नियम के प्रयोजनार्थ, दोनों मामलों में, इन अवधियों की गणना पहले रजिस्ट्रीकरण की तारीख से की जाएगी।

स्पष्टीकरण 2:- इस नियम के प्रयोजनार्थ, "निक्षेप प्रमाण पत्र" पद का वही अर्थ होगा जो मोटर यान (वाहन स्कैपिंग सुविधा रजिस्ट्रीकरण और कृत्य) नियम 2021 के नियम 3 के खंड (ग) के उपखंड (1) में उसे अभिहित किया गया है।"

[फा. सं. आरटी-23013/7/2021-टी]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 714 (अ), तारीख 4 अक्टूबर, 2021 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October, 2021

G.S.R. 720(E).— Whereas the draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, were published, as required under sub-section (1) of section 212 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), vide notification of the Ministry of Road Transport and Highways, Government of India, vide number G.S.R. 220 (E), dated the 26th March, 2021 in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated the 29th March, 2021 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby, before the expiry of the period of thirty days from the date on which copies of the Official Gazette containing the said notification were made available to public;

And, whereas, copies of the said Official Gazette in which the said notification was published, were made available to the public on the 29th March, 2021;

And, whereas, the objections and suggestions received from the public in respect of the said draft rules have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by clause (a), clause (d) and clause (p) of section 64 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Twenty fourth Amendment) Rules, 2021.

(2) They shall come into force with effect from 1st day of April, 2022.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, after rule 51, the following rule shall be inserted, namely: -

“51A. Concession in motor vehicle tax. - In case the vehicle is registered against submission of "Certificate of Deposit", the concession in the motor vehicle tax shall be,-

(i) upto twenty five per cent., in case of non-transport vehicles; and

(ii) upto fifteen per cent., in case of transport vehicles:

Provided that this concession shall be available upto eight years, in case of transport vehicles, and upto fifteen years, in case of non-transport vehicles and there shall be no concession in the motor vehicle tax in case of transport vehicles, after eight years, and, in case of non-transport vehicles, after fifteen years.

Explanation 1.- For the purposes of this rule, these periods shall be reckoned from the date of first registration in both cases.

Explanation 2.- For the purposes of these rules, the expression "Certificate of Deposit" shall have the same meaning as assigned to it in clause (c) of sub-rule (1) of rule 3 of the Motor Vehicles (Registration and Functions of Vehicle Scrapping Facility) Rules, 2021.”.

[F. No. RT-23013/7/2021-T]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* notification number G.S.R 714(E), dated 4th October, 2021.